



राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,  
awe0190@gmail.com दूरभाष 0141-5196337,5196344



क्रमांक एफ 20(6)(9)निमअ/वजट/2018-19/

दिनांक :-

सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता  
समस्त

विषय :- वजट आवंटन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निम्न वजट मद में निम्न जिले को निम्नानुसार वजट आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	वजट मद	उपलब्ध वजट	(राशि हजारों में) प्रत्येक जिले को आवंटित राशि
1	2235-02-196-02-29-01 संवेतन मद	88800.00	2000.00
2	2235-02-196-02-01-01 संवेतन मद	40000.00	800.00

उपरोक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग राज्य सरकार एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें।

(नीति धीमन)  
वित्तीय सलाहकार  
महिला अधिकारिता विभाग  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 20(6)(9)निमअ/वजट/2018-19/ 2522

दिनांक :- 3.4.18

04/04/18

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. एसीपी, म.अ. मुख्यालय को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

लखाधिकारी  
महिला अधिकारिता विभाग